FORM No. III (प्रारूप संख्या-3)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

प्रेम देवी बनाम तहसीलदार

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 136 LR Act नम्बर 196/2022 वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3-04-22	रिपोर्ट सरिश्ता होकर प्रार्थना पत्र पेश हुआ। वकील प्रार्थी उप०। प्रार्थना पत्र दर्ज० किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली 10.05.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
0-05-22	पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी बावजूद सम्यक तामील अनु०। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 28-06-2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
8-06-22	पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी व प्रार्थीया स्वयं उप०। प्रार्थना पत्र 06 R 17 पेश हुआ न्याय हित में स्वीकार किया गया। बतौर साक्ष्य मुख्य परीक्षण प्रार्थीया का शपथ पत्र पेश हुआ। जिरह शून्य रही। पत्रावली में बहस एकपक्षीय सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 11-07-22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

11 7/22 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली मे बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया है कि राजस्व ग्राम हीरानगर पटवार हल्का गोडावास तहसील नीमकाथाना स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1029 की खातेदारी में 1/4 हिस्सा किशनसिंह पुत्र भीवसिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज है जो कि प्रार्थिया के पति है। प्रार्थीया के पति का दिनांक 19.04.2015 को स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थिया के पति का सही नाम बिशनसिंह पुत्र भीमसिंह है। परन्तु विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करते समय राजस्व कार्मिकों ने सहवन से वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया के पति व ससुर का नाम किशनसिंह पुत्र भीवसिंह गलत दर्ज कर दिया गया। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मृत्यु प्रमाण पत्र, नामा0 1153, सेना में नौकरी के दस्तावेज, राशन कार्ड, आधार कार्ड, आदि की प्रतियां पेश की जिनमें प्रार्थीया के पति व ससुर का सही नाम बिशनसिंह पुत्र भीमसिंह दर्ज है। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पति व ससुर का नाम किशनसिंह पुत्र भीवसिंह का नाम गलत दर्ज है। प्रार्थीया के पति व ससुर का सही नाम बिशनसिंह पुत्र भीमसिंह की पुष्टि मृत्यु प्रमाण पत्र, नामा0 1153, सेना में नौकरी के दस्तावेज, राशन कार्ड, आधार कार्ड तथा स्वयं के लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र से इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है:-

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
हीरानगर	खसरा संख्या 1029	किशनसिंह पुत्र भीवसिंह	बिशनसिंह पुत्र भीमसिंह

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।
निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner